रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 2000/श्रावण 20, 1922
No. 430] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11, 2000/SRAVANA 20, 1922

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2000

सा. का. नि. 661 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति पेंशन नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. राष्ट्रपति पेंशन नियम, 1962 के नियम 3 में, उपनियम (1) खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(ज) पदासीन राष्ट्रपति की मृत्यु की दशा में या उनके पद त्याग के पश्चात् उनका जीवित पति या पत्नी अपने शेष जीवनकाल में, भारत के कहीं भी जैसा कि पति या पत्नी वरण करे, अनुज्ञप्ति फीस का संदाय किए बिना असुसज्जित निवास का उपभोग करने का हकदार होगा/होगी : परन्तु पति या पत्नी जल और विद्युत प्रभागों के संदाय के लिए दायी होगा/होगी।

(झ) ऐसे स्थानों पर जहां सरकार के स्वामित्वाधीन वास सुविधा का पति या पत्नी को आवंटन किया जाता है वहां वास सुविधा का वर्ग टाईप VII होगा और यदि किसी विशिष्ट स्थान पर उपलब्ध सरकारी स्वामित्वाधीन वास सुविधा के उच्चतम टाइप के आकार से कम है तो उस स्थान पर उपलब्ध वास सुविधा का उच्चतम टाईप पति या पत्नी को आवंटित किया जाएगा।

(ञ) ऐसे स्थानों पर जहां उपयुक्त सरकारी वास सुविधा जीवित पति या पत्नी को आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं है वहां जीवित पति या पत्नी को दिए जाने के लिए पट्टे पर लिए जाने वाली वास सुविधा का आकार वह आवास क्षेत्र होगा जो 2000 वर्गफीट से अधिक नहीं होगा।

(ट) जीवित पति या पत्नी को उसके द्वारा वरण किये गये स्थान पर आवासिक वास सुविधा तभी आवंटित की जाएगी यदि उस विशिष्ट स्थान पर उसके स्वामित्व वाली कोई वास सुविधा नहीं है।

(ठ) जीवित पति या पत्नी को आवंटित वास सुविधा उस पति या पत्नी के अनन्य उपयोग के लिए होगी और वह जीवित पति या पत्नी की मृत्यु के पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं की जाएगी।

(ड) जीवित पति या पत्नी के लिए वास सुविधा का इंतजाम करने का उत्तरदायित्व सम्पदा निदेशालय होगा।

[फा. सं. 1/1/97-एम एण्ड जी]

आर. के. सिंह, संयुक्त सचिव,

प्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र में सा. का. नि. सं. 1328, दिनांक 1 अक्तूबर, 1962 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :

1. अधिसूचना सं. 13/1/67-पीयूबी. I दिनांक 29-8-1967
2. अधिसूचना सं. 13/6/68-पीयूबी. I दिनांक 9-10-1968
3. अधिसूचना सं. 13/6/68-पीयूबी. I दिनांक 8-1-1969
4. अधिसूचना सं. 1/3/76-स्टेटस दिनांक 28-2-1977
5. सा. का. नि. 613(अ) दिनांक 9-4-1986
6. सा. का. नि. 676(अ) दिनांक 30-7-1990

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2000

G.S.R. 661(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the President's Emoluments and Pension Act, 1951, (30 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the President's Pension Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the President's Pension (Amendment) Rules, 2000.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3 of the President's Pension Rules, 1962, in sub-rule (1) after the proviso to clause (g), the following clauses shall be inserted, namely :—

"(h) In the event of the death of a President in harness or after demitting office, the surviving spouse shall be entitled, without payment of licence fee, to the use of unfurnished residence anywhere in India at the choice of the spouse for the remainder of his or her life : provided the spouse shall, be liable to pay water and electricity charges.

(i) At places where Government owned accommodation is allotted to the spouse, the class of accommodation shall be Type VII and if the highest type of Government owned accommodation available at a particular place is smaller in size, the highest type of accommodation available at the place shall be allotted to the spouse.

(j) At places where suitable Government accommodation is not available for allotment to the surviving spouse, the size of the accommodation to be taken on lease to be provided for the surviving spouse shall have a living area not exceeding 2000 square feet.

(k) Residential accommodation shall be allotted to the surviving spouse at a place indicated by him or her, if he or she does not own any accommodation in that particular place.

(l) The accommodation allotted to the surviving spouse shall be for the exclusive use of the spouse and the same shall not be transferred to any other person after the death of the surviving spouse.

(m) The Directorate of Estates shall be responsible for arranging accommodation for the surviving spouse.

[F. No. 1/1/97-M&G]

R. K. SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 1328 dated 1st October, 1962 and subsequently amended vide :

(1) Notification No. 13/1/67-Pub. I dated 29-8-1967.
(2) Notification No. 13/6/68-Pub. I dated 9-10-1968.
(3) Notification No. 13/6/68-Pub. I dated 8-1-1969.
(4) Notification No. 1/3/76-States dated 28-2-1977.
(5) G.S.R. 613(E) dated 9-4-1986.
(6) G.S R. 676(E) dated 30-7-1990.

Printed by the Manager. Govt. of India Press. Ring Road. Mayapuri. New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications. Delhi-110054.